औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बंगाणा, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के निधि लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2010 से 31.3.2015

भाग—एक

1 **प्रारम्भिकः—** **(क) अंकेक्षण अवधि 1.4.2010 से 31.3.2015 के दौरान निम्नलिखित प्रधानाचार्य आहरण एवं वितरण अधिकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बंगाणा में कार्यरत्त रहेः—**

क्र0सं0	**आहरण एवं वितरण अधिकारी का नाम**	**अवधि**
1	श्री छोटू राम डांगी	1.4.2010 से 15.01.15
2	श्री प्यार चन्द अत्री	16.1.15 से अद्यतन

(ख) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्रवाई की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान समीक्षा के उपरान्त अनिर्णीत पैरों की स्थिति निम्नानुसार पाई गईः—

(i) अवधि 1.4.2007 से पूर्व के गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों की स्थिति औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ऊना के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित है। अतः उक्त अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बंगाणा से सम्बन्धित अनिर्णीत पैरों को उचित स्त्रोत से प्राप्त करके उन पर अविलम्ब वाँछित कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ii) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2010

1	पैरा—21	अनिर्णीत	
2	पैरा—22	निर्णीत	(अनुपालना की सत्यापना उपरान्त)
3	पैरा—23	निर्णीत	(₹2800 की वसूली की सत्यापना उपरान्त)
4	पैरा—24	निर्णीत	(₹500 की वसूली की सत्यापना उपरान्त)
5	पैरा—25	अनिर्णीत	
6	पैरा—26	अनिर्णीत	
7	पैरा—36 (i)	अनिर्णीत	
8	पैरा—36 (ii)	अनिर्णीत	
9	पैरा—36 (iii)	अनिर्णीत	
10	पैरा—36 (iv)	अनिर्णीत	
11	पैरा—36 (v)	अनिर्णीत	
12	पैरा—36 (vi)	अनिर्णीत	

13 पैरा–36 (vii) अनिर्णीत
14 पैरा–36 (viii) अनिर्णीत
15 पैरा–36 (ix) अनिर्णीत

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	(₹)लाखों में
1	5	सावधि जमा योजना में निवेशित राशि को रोकड़ बही में लेखाकिंत न करना तथा इससे सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना	1.13
2	9	सरकारी राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे	0.24
3	13	छात्र कल्याण निधि से सोफा सैट क्रय करने पर राशि का अनाधिकृत एवं अनियमित व्यय करना	0.37
4	15	भवन निधि से राशि का अनाधिकृत एवं अनियमित भुगतान करना	0.67
5	16	प्रशिक्षकों को मानदेय/वेतन के रूप में भुगतान की गई राशि से सम्बन्धित अनियमितताएं	0.59
6	21	आवेदन पत्रों व अनापति प्रमाण पत्रों के बिना संस्थान प्रतिभूति की राशि का भुगतान करना	0.83
7	22	बकाया वेतन बिल की राशि की प्रतिपूर्ति करने बारे	2.34

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बंगाणा के अवधि 1.4.2010 से 31.3.2015 के निधि लेखों का वर्तमान अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार आर्टिकल सहायक द्वारा दिनाँक 12.8.2015 से 19.8.2015 के दौरान संस्थान में किया गया। अंकेक्षण की विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया।

आयः– 7/10, 8/11, 7/12, 8/13 व 2/15

व्ययः– 7/10, 10/11, 1/13, 11/13 व 1/15

यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन संस्थान द्वारा अंकेक्षण को प्रदत्त सूचनाओं व अभिलेख पर आधारित है। संस्थान द्वारा प्रदत्त किसी भी गलत एवं अधूरी सूचना अथवा सूचना

प्रदान ही न करने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं है।

3 अंकेक्षण शुल्क

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बंगाणा के अवधि 1.4.2010 से 31.3.2015 के निधि लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर ₹10800/– आंका गया, जिसे प्रधानाचार्य द्वारा के0सी0सी0बी0 बंगाणा के बैंक ड्राफ्ट संख्या 667638 दिनांक 17.8.2015 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित कर दिया है।

4 वित्तीय स्थिति

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बंगाणा द्वारा प्रस्तुत संस्थान की अवधि 1.4.2010 से 31.3. 2015 की विभिन्न निधियों की वित्तीय स्थिति व दिनाँक 31.3.2015 को अन्तिम शेषों का विवरण बैंक खाता सहित निम्नलिखित प्रकार से है। वित्तीय स्थिति में दर्शाए गए प्रारम्भिक शेष के आंकड़े गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित वित्तीय स्थिति से मेल नहीं खाते है। अतः इस सन्दर्भ में संस्था स्तर पर जांच करके वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(a) Financial Statement of Student Welfare Fund for the year 4/2010 to 3/2015 in respect of Govt. ITI Bangana Distt Una (H.P.)

Month	Opening Balance	Income	Interest	Total	Exp	Balance
2010-11	311109	206255	8684	526048	290352	235696
2011-12	235696	298257	6413	540366	445727	94639
2012-13	94639	120355	2577	217571	214903	2668
2013-14	2668	123650	1772	128090	31802	96288
2014-15	96288	428079	5968	530355	229827	300508
दिनांक 31.3.2015 को के0सी0सी0बी0 बंगाणा के बचत खाता संख्या 20096040952 में जमा शेष राशि						₹300508

(B) Financial Statement of Building Fund for the year 4/2010 to 3/2015 in respect of Govt. ITI BanganaDistt Una (H.P.)

Month	Opening Balance	Income	Interest	Total	Exp	Balance
2010-11	221062	18000	8130	247192	0	247192
2011-12	247192	18000	8594	273786	100000	173786
2012-13	173786	60614	3587	237987	32836	205151
2013-14	205151	24145	4478	233774	0	233774

2014-15	233774	12000	8275	254049	67275	186774

दिनांक 31.3.2015 को के0सी0सी0बी0 बंगाणा के बचत खाता संख्या 20096040974 में जमा शेष राशि ₹186774

(c) Financial Statement of Security Fund for the year 4/2010 to 3/2015 in respect of Govt. ITI BanganaDistt Una (H.P.)

Month	Opening Balance	Income	Interest	Total	Exp	Balance
2010-11	27918	18500	868	47286	24000	23286
2011-12	23286	8500	935	32721	9500	23221
2012-13	23221	24000	1132	48353	17000	31353
2013-14	31353	11000	1326	43679	13000	30679
2014-15	30679	24000	974	55653	20500	35153

दिनांक 31.3.2015 को के0सी0सी0बी0 बंगाणा के बचत खाता संख्या 20096040985 में जमा शेष राशि ₹35153

(d) Financial Statement of T & P Fund for the year 4/2010 to 3/2015 in respect of Govt. ITI BanganaDistt Una (H.P.)

Month	Opening Balance	Income	Interest	Total	Exp	Balance
2010-11	23921	4900	1298	30119	0	30119
2011-12	30119	4189	687	34995	0	34995
2012-13	34995	4800	722	40517	0	40517
2013-14	40517	4000	2540	47057	0	47057
2014-15	47057	4800	1932	53789	0	53789

दिनांक 31.3.2015 को के0सी0सी0बी0 बंगाणा के बचत खाता संख्या 20096040996 में जमा शेष राशि =₹53789

5 सावधि जमा योजना में निवेशित ₹113719/— को रोकड़ बही में लेखाँकित न करना तथा इससे सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2010 के पैरा संख्या 21 (ख) (i) व (ii) के अनुसार संस्थान द्वारा छात्र कल्याण निधि से सावधि जमा योजना के अन्तर्गत क्रमशः सावधिक जमा खाता संख्या 342576 में दिनांक 14.1.2010 को निवेशित ₹75812/— व भवन निधि के खाते से सावधिक जमा योजना के अन्तर्गत खाता संख्या 242577 में दिनांक 14.1.2010 को निवेशित ₹37907/— अर्थात कुल ₹113719/— निवेशित की गई दर्शाई गई थी, जिसकी परिपक्वता तिथि 14.1.2011 थी तथा उक्त निवेशित राशियाँ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बंगाणा की निधियों से सम्बन्धित थी। अंकेक्षण अवधि 1.4.2010 से 31.3.2015 के

दौरान उक्त निवेशित राशियो का न तो रोकड़ बही में लेखांकन किया गया है व न ही उक्त निवेशित राशियों से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख जैसे कि निवेश रजिस्टर, सावधिक जमा योजना के अन्तर्गत निवेशित राशियों के प्रपत्र वर्तमान अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किए गए। सावधिक जमा योजना के अन्तर्गत दिनांक 14.1.2010 को निवेशित कुल ₹113719/– के सन्दर्भ में वाँछित सूचनाएं अंकेक्षण में प्रदान न करने एवं रोकड़ बही में गत पांच वर्षों में उक्त निवेशित राशियों पर अर्जित ब्याज का लेखांकन आय पक्ष में दर्ज न करने के सन्दर्भ में उक्त गम्भीर वित्तीय अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 31 दिनांक 14.8.2015 द्वारा प्रधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बंगाणा के ध्यानार्थ आवश्यक जाँच पड़ताल करने तथा अंकेक्षण को उक्त निवेशित राशियों की वर्तमान में वास्तविक स्थिति से अवगत करवाने एवं अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु लाया गया था, लेकिन औद्योगिक प्रशिक्षण बंगाणा के प्रधानाचार्य द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अंकेक्षण अधियाचना का कोई भी उत्तर नहीं दिया गया अपितु चर्चा के दौरान बताया गया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ऊना द्वारा न तो सावधिक जमा योजना के अन्तर्गत निवेशित राशियों का कोई ब्यौरा/अभिलेख औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बंगाणा को निधियों का कार्यभार सौंपते समय प्रदान किया गया व न ही सावधिक जमा योजना के अन्तर्गत निवेशित राशियों के प्रपत्र कार्यभार सौंपते समय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बंगाणा को सौंपे गए है। उक्त तथ्यों कके दृष्टिगत सावधिक जमा योजना के अन्तर्गत दिनांक 14.1.2010 को निवेशित कुल ₹113719/– का रोकड़ बही/अभिलेख में लेखांकन न करने से सम्बन्धित यह गम्भीर प्रकरण निदेशालय तकनीकी शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारीगण के ध्यानार्थ आवश्यक जाँच पड़ताल करने के प्रयोजन से लाया जाता है, ताकि दिनांक 14.1.2010 को निधियों से निवेशित कुल ₹113719 व तदोपरान्त परिपक्वता पर समय–2 पर अर्जित ब्याज के बारे में वस्तुस्थिति की जाँच की जा सके। अतः जाँच के उपरान्त यह सुनिश्चित किया जाए कि निवेशित राशियों व उस पर अर्जित ब्याज के बारे में वस्तुस्थिति क्या है। इसके अतिरिक्त सावधि जमा योजना में निवेशित उक्त ₹113719/– व समय–2 पर अर्जित ब्याज का लेखाँकन सम्बन्धित निधियों की रोकड़ बहियों में किया जाए व कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

6 भवन निधि के रूप में वसूली गई ₹11750/– को छात्र कल्याण निधि में जमा करवाने के बारे में

जाँच के दौरान पाया गया कि शुल्क एवं निधि संग्रह रजिस्टर के अनुसार दिनांक 19.2.2015 को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बंगाणा में विभिन्न ट्रेडों में प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओं

से भवन निधि के रूप में ₹11750/– की वसूली की गई थी, लेकिन उक्त वसूली गई राशि को भवन निधि में जमा न करवाकर छात्र कल्याण निधि में जमा करवाया गया था। उक्त अनियमितता को अंकेक्षण के दौरान प्रधानाचार्य के ध्यानार्थ लाया गया था, जिस पर प्रधानाचार्य द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त राशि छात्र कल्याण निधि से आहरित करके दिनांक 17.8.2015 को भवन निधि में जमा करवा दी गई व राशि को जमा करवाने की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान ही कर ली गई है। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में उक्त प्रकार की अनियमितता न दोहराने हेतु प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए।

7 अनुपस्थिति/जुर्माने के रूप में वसूली गई ₹500/– को जमा न करवाने बारे

जाँच के दौरान पाया गया कि सितम्बर 2012 में आई0टी0 एण्ड ई0एस0एम0 प्रथम वर्ष ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्तकर रहे प्रशिक्षुओं से अनुपस्थिति/जुर्माने के रूप में वसूली गई ₹500/– को सम्बन्धित निधि में जमा नहीं करवाया गया है। अतः सम्बन्धित उत्तरदायी प्रशिक्षक से उक्त राशि की वसूली ब्याज व दण्ड ब्याज सहित करके सम्बन्धित निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में उक्त प्रकार की अनियमितता न दोहराने हेतु प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए।

8 अनावश्यक रूप से राशियों को हस्तगत रखना

जाँच के दौरान पाया गया कि छात्र कल्याण निधि की रोकड़ बही में अध्यधिक राशियां हस्तगत रखकर कई–2 दिनों के उपरान्त सम्बन्धित खाते में जमा करवाई गई है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0सं0	दिनांक	आरम्भिक हस्तगत शेष राशि	प्राप्त राशि	व्यय की गई राशि	जमा करवाई गई राशि	शेष हस्तगत राशि
1	14.12.12	–	1490	–	–	1490
2	3.1.13	1490	230	–	–	1720
3	12.2.13	1720	600	–	–	2320
4	2.3.13	2320	520	–	–	2840
5	14.3.13	2840	–	–	2550	290
6	3.4.13	290	650	–	596	344
7	18.5.13	344	580	–	–	924
8	6.6.13	924	770	–	–	1694
9	26.10.13	1694	380	–	–	2074
10	7.11.13	2074	660	–	–	2734
11	9.12.13	2734	470	–	–	3204
12	2.1.14	3204	1080	–	–	4284

13	12.2.14	4284	250	—	—	4534
14	13.2.14	4534	15400	—	—	19934
15	17.2.14	19934	—	—	18240	1694
16	4.3.14	1694	620	—	—	2314
17	31.3.14	2314	11250	—	—	13564
18	7.4.14	13564	—	—	11200	2314
19	10.4.14	2314	80	—	—	2394
20	8.5.14	2394	1290	—	—	3684
21	6.6.14	3684	1960	—	—	5644
22	4.7.14	5644	380	—	—	6024
23	5.7.14	6024	60225	—	—	62249
24	10.7.14	66249	12425	—	—	78674
25	14.7.14	78674	—	—	72500	6174
26	15.7.14	6174	2525	—	—	8699
27	7.8.15	8699	31250	—	—	39949
28	14.8.15	39949	13700	—	—	53649
29	29.8.14	53649	3725	—	—	57374
30	30.8.14	57374	3725	—	—	61099
31	5.9.14	61099	—	—	55575	5524
32	5.10.14	5524	15170	—	—	20694
33	22.10.14	20694	—	—	15170	5524
34	10.12.14	5524	770	—	—	6294
35	20.12.14	6294	725	—	—	7019
36	3.1.15	7019	1125	—	—	8144
37	6.1.15	8144	—	7789	—	355

इस प्रकार उपरोक्त उल्लेखित राशियां हस्तगत रखकर संस्थान को ब्याज स्वरूप हानि हुई है। अतः उपरोक्त उल्लेखित कई राशियों को कई–2 दिनों तक हस्तगत रखने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इन राशियों को हस्तगत रखकर इनका अस्थाई दुरूपयोग करने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से ब्याज एवं दण्ड ब्याज की वसूली करने के उपरान्त अपेक्षित राशि छात्र कल्याण निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा भविष्य में राशि वसूली के उपरान्त अविलम्ब सम्बन्धित खाते में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए ताकि ब्याज स्वरूप हानि से बचा जा सके। इस सन्दर्भ में अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 सरकारी ₹24000/– को सरकारी कोष में जमा न करवाने के बारे में

जाँच के दौरान पाया गया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बंगाणा में शुल्क एवं निधि संग्रह रजिस्टर के अनुसार दिनांक 19.2.2015 को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 20 छात्रों/प्रशिक्षुओं से शैक्षणिक शुल्क ₹1200/– प्रति प्रशिक्षु की दर से (20X1200=₹24000)

की वसूली की गई थी, लेकिन उक्त वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाकर छात्र कल्याण निधि में जमा करवाया गया था। उक्त अनियमितता को अंकेक्षण के दौरान ही प्रधानाचार्य के ध्यानार्थ लाया गया था, जिस पर प्रधानाचार्य द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त राशि छात्र कल्याण निधि से आहरित करके दिनांक 17.8.2015 को सरकारी कोष में जमा करवा दी गई है व राशि जमा करवाने की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान ही कर ली गई है। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में उक्त प्रकार की अनयिमितता न दोहराने हेतु प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए।

10 निधियों के रूप में वसूली गई राशि को देरी से जमा करवाने बारे

जाँच के दौरान पाया गया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बंगाणा में शुल्क एवं निधि संग्रह रजिस्टर के अनुसार अवधि 6.7.2013 से 17.8.2013 के दौरान रसीदों के अन्तर्गत निधियों के रूप में वसूली गई राशि को वसूली के अगले दिन सम्बन्धित निधि में जमा न करवाकर कई–2 दिनों तक हस्तगत रखकर इन्हें देरी से जमा करवाया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0सं0	वसूली की तिथि	वसूली गई राशि	निधियों में जमा करवाने की तिथि	राशि जितने दिन हस्तगत रखी गई
1	6.7.13	32080	27.8.13	51 दिन
2	9.7.13	9240	27.8.13	48 दिन
3	8.8.13	9330	27.8.13	18 दिन
4	14.8.13	2250	27.8.13	12 दिन
5	16.8.13	3510	27.8.13	10 दिन
6	17.8.13	85800	27.8.13	9 दिन

अतः उपरोक्त उल्लेखित निधियों के रूप में वसूली गई राशियो ंको वसूली के अगले दिन सम्बन्धित निधियो ंमें जमा न करवाकर कई–2 दिनों तक हस्तगत रखकर इनका अस्थाई दुर्विनियोजन किया गया है। अतः अनावश्यक तौर पर सरकारी राशियों को हस्तगत रखकर अस्थाई दुर्विनियोजन करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से इन राशियों पर ब्याज व दण्ड ब्याज की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए व भविष्य में इस प्रकार की वित्तीय अनियमितता पर निश्चित तौर पर अंकुश लगाया जाए एवं सम्पूर्ण वसूली गई राशियो को वसूली के अगले दिन सम्बन्धित निधियों/सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 सरकारी राशि को सरकारी कोष में देरी से जमा करवाना

जाँच के दौरान पाया गया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बंगाणा में विभिन्न ट्रेडों के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओं से प्रवेश शुल्क व शैक्षणिक शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को वसूली के अगले दिन सरकारी कोष में जमा न करवाकर कई–2 दिनों तक हस्तगत रखकर उसका अस्थाई दुरूपयोग किया गया है, जबकि वित्तीय नियमानुसार सरकारी राशि को वसूली के अगले दिन व अगले दिन अवकाश होने की स्थिति में उससे अगले दिन सरकारी कोष में जमा करवाना अनिवार्य होता है। अतः सरकारी राशि को वसूली के अगले दिन व अगले दिन अवकाश होने की स्थिति में उससे अगले दिन सरकारी कोष में जमा न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व निम्नविवरणानुसार सरकारी राशि को देरी से जमा करवाने से सम्बन्धित प्रकरणों में नियमानुसार कार्रवाई की जानी अपेक्षित है।

क्र0सं0	वसूली की तिथि	वसूली गई राशि	निधियों में जमा करवाने की तिथि	राशि जितने दिन हस्तगत रखी गई
1	5.5.10	12000	12.5.10	6 दिन
2	14.7.10	22800	22.7.10	7 दिन
3	9.8.11	800	18.8.11	8 दिन
4	18.8.11	28800	25.9.11	37 दिन
5	19.7.12	16000	13.8.12	24 दिन
6	30.8.12	2600	7.9.12	7 दिन
7	16.8.13	1400	27.8.13	10 दिन
8	17.8.13	33600	27.8.13	9 दिन
9	26.8.13	3200	3.10.13	37 दिन
10	9.9.13	1400	3.10.13	23 दिन

12 सरकारी राशि को छात्र कल्याण निधि मे जमा करवाने के उपरान्त सरकारी कोष में जमा करवाने के बारे में

जाँच के दौरान पाया गया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओं से शुल्क एवं निधियों के रूप में दिनांक 5.7.2014 से 30.8.2014 के दौरान वसूली गई राशि को छात्र कल्याण निधि मे ंजमा करवाने के उपरान्त कई–2 दिनों बाद सरकारी कोष में जमा करवाई गई है, जबकि सरकारी राशि को वसूली के अगले दिन व अगले दिन अवकाश होने की स्थिति में उससे अगले दिन सरकारी कोष में जमा करवाना अनिवार्य है। अतः सरकारी राशि को छात्र कल्याण निधि में जमा करवाने के उपरान्त कई–2 दिनों बाद सरकारी कोष में जमा करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में सरकारी राशि वसूली के उपरान्त अविलम्ब सरकारी कोष में जमा करवानी सुनिश्चित की जाए तथा

सरकारी राशि को छात्र कल्याण निधि में जमा करवाने के उपरान्त कई–कई दिनों पश्चात सरकारी कोष में जमा करवाने का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0सं0	वसूली की तिथि	वसूली गई राशि	सरकारी कोष में जमा करवाने की तिथि	जितने दिनों बाद सरकारी कोंष में जमा करवाई गई
1	5.7.14	11400	1.1.15	179 दिन
2	10.7.14	800	1.1.15	174 दिन
3	15.7.14	200	1.1.15	169 दिन
4	7.8.14	8000	1.1.15	146 दिन
5	14.8.14	4400	1.1.15	139 दिन
6	29.8.14	1400	1.1.15	124 दिन
7	30.8.14	1400	1.1.15	123 दिन

13 छात्र कल्याण निधि से सोफा सैट क्रय करने पर ₹37000/– का अनाधिकृत एवं अनियमित व्यय करना

व्यय की जाँच के दौरान पाया गया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा छात्र कल्याण निधि से दिनांक 21.1.2015 को कलगीधर फर्नीचर इन्डस्ट्री ऊना से सोफा सैट क्रय करने पर निम्नविवरणानुसार ₹37000/– का व्यय किया गया दर्शाया है।

क्र0सं0	दिनांक	फर्म का विवरण	क्रय सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
1	22.1.15	कलगीधर फर्नीचर इन्डस्ट्री, ऊना	सोफा सैट (5 सीटों वाला)	1	26500	26500
			सैट कवर स्टिचिंग	1	3500	3500
			सैन्टर टेबल	1	7000	7000
					कुल योग	**₹37000**

उपरोक्त उल्लेखित व्यय के सन्दर्भ में निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ है, जिनका निराकरण अपेक्षित हैः–

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार तकनीकी शिक्षा विभाग, औद्योगिक एवं प्रशिक्षण की अधिसूचना संख्या ई0डी0एन0 (टी0ई0) ए (3) 2/2004 दिनांक 8.7.10 के (नियम (3) निधि का परिचालन तथा उपयोग) के अनुरूप छात्र कल्याण निधि से उपरोक्त उल्लेखित व्यय करने का कोई प्रावधान नहीं है। फलस्वरूप उक्त व्यय निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः उक्त व्यय की उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति की जाए अथवा सक्षम प्राधिकारी से कार्योतर स्वीकृति प्राप्त करके इस व्यय को नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) उपरोक्त उल्लेखित सामान का क्रय निविदाओं के आधार पर किया गया दर्शाया है। निविदाएं आमंन्त्रण पत्र दिनांक 19.1.2015 द्वारा डिस्पैच नम्बर 110 से 112 के अन्तर्गत आमंन्त्रित की गई दर्शाई है तथा निविदाएं डायरी नम्बर 119 से 121, दिनांक 19.1.2015 को ही तीन फर्मों की प्राप्त की गई दर्शाई है, जिसमें न्यू गुरू नानक फर्नीचर हाऊस ऊना, जय माँ फर्नीचर हाऊस ऊना तथा कलगीधर फर्नीचर इन्डस्ट्रीज की निविदाएं सम्मिलित है। दिनांक 20.1.2015 को डिसपैच नम्बर 117 के अन्तर्गत आपूर्ति आदेश दिया गया तथा दिनांक 21.1. 2015 को बिल संख्या 1279 के अन्तर्गत सामान का क्रय किया गया व चैक संख्या 693001 दिनांक 21.2.2015 द्वारा भुगतान किया गया दर्शाया है। उपरोक्त विवरण के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि केवल मात्र औपचारिकताऐं पूर्ण करने हेतु ही निविदाओं को आमन्त्रित किया गया है। अतः उक्त अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य में निविदाओं को आमन्त्रित करने से सम्बन्धित सभी औचारिकताएं विधिवत पूर्ण की जानी सुनिश्चित की जाए।

14 प्रतिदिन प्राप्ति रजिस्टर (Daily Diary Resgister) के क्रय करने पर ₹9800/– का अनाधिकृत एवं अनियमित व्यय

जाँच के दौरान पाया गया कि छात्र कल्याण निधि से माह 11/10 को 200 प्रतिदिन दैनिकी (Daily Diary) का क्रय करने पर ₹9800/– का व्यय निम्नानुसार किया गया दर्शाया है।

दिनांक	फर्म का विवरण	सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
25.11.10	मैसर्ज अक्षित प्रिंटर्स, ऊना	प्रतिदिन दैनिकी (Daily Diary)	200	49	9800

हिमाचल प्रदेश सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण की अधिसूचना संख्या ई0डी0एन0 (टी0ई0) ए (3)–2/2004 दिनांक 8.7.10 के नियम (3) निधि का परिचालन एवं उपयोग) के अनुसार छात्र कल्याण निधि से उपरोक्त उल्लेखित व्यय करने का कोई प्रावधान नहीं है। फलस्वरूप उक्त व्यय इस निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः उक्त व्यय की उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 भवन निधि से ₹67275/–का अनाधिकृत एवं अनियमित भुगतान करना

जाँच के दौरान पाया गया कि भवन निधि से माह 9/2014 के दौरान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बंगाणा की नई बिल्डिंग में मीटर लगवाने हेतु प्रतिभूति के रूप में सहायक

अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड बंगाणा को ₹67275/– का निम्नानुसार भुगतान किया गया दर्शाया है।

क्र0सं0	दिनांक	रसीद संख्या	राशि
1	8.9.14	0442892	44025
2	22.9.14	0442976	23250
		कुल योग	**67275**

उपरोक्त उल्लेखित व्यय के सन्दर्भ में निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ है, जिनका निकराकरण अपेक्षित है।

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार के तकनीकी शिक्षा विभाग, औद्योगिक एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण की अधिसूचना संख्या EDN(TE) A(3) 2/2004 दिनांक 8.7.2010 के अनुसार भवन निधि से मीटर लगवाने हेतु प्रतिभूति के रूप में भुगतान करने का कोई प्रावधान नहीं है, फलस्वरूप उक्त व्यय निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः उक्त व्यय की उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करने के उपरान्त यह राशि सम्बन्धित निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए अथवा उक्त व्यय की सक्षम प्राधिकारी से कार्यात्तर स्वीकृति प्राप्त करके इसे नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 प्रशिक्षकों को मानदेय/वेतन के रूप में भुगतान की गई ₹59880/– से सम्बन्धित अनियमितताएं

जाँच के दौरान पाया गया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बंगाणा में श्रीमती सरोज राणा प्रशिक्षक आई0टी0 एण्ड ई0एस0एम0 को मानदेय/वेतन के रूप में निम्नविवरणानुसार ₹59880/– का भुगतान किया गया दर्शाया गया है।

क्र0 सं0	निधि का नाम	माह/दिनांक	भुगतान दर्शाई गई राशि	थ्योरी	प्रैक्टिकल	दर	योग
1	छात्र कल्याण निधि	7.7.10	8220	–	–	–	–
2	–यथोपरि–	12.10.11	9360	15	–	180	2700
3	–यथोपरि–	8.1.13		–	74	90	6660
			14100				9360
4	भवन निधि	9.11.12	28200	–	–	–	–
		कुल योग	**59880**				

उपरोक्त उल्लेखित व्यय वाउचरो की जाँच करने पर निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ है, जिनका निराकरण अपेक्षित है।

(क) उपरोक्त क्रम संख्या 1, 3 व 4 पर प्रशिक्षक के थ्योरी व प्रैक्टिकल पीरियडों की संख्या/मात्रा का उल्लेख नहीं है, जबकि उक्त प्रशिक्षण को ₹180 प्रति थ्योरी पीरियड व

₹90/– प्रति प्रैक्टिकल पीरियड की दर से भुगतान किया जाना अपेक्षित था। अतः थ्योरी व प्रैक्टिकल पीरियडों की संख्या/मात्रा के अभाव में दर्शाए गए भुगतानों को नियमानुसार उचित नहीं ठहराया जा सकता है एवं किसी भी अधिक भुगतान की सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता। उक्त विवरण के अभाव में ऐसा प्रतीत होता है उक्त प्रशिक्षक को मानदेय/वेतन की अधिकतम सीमा तक लाभ देने के प्रयेाजन से ही थ्योरी व प्रैक्टिकल पीरियडों की संख्या/मात्रा का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः थ्योरी व प्रैक्टिकल पीरियडों की संख्या/मात्रा से सम्बन्धित अभिलेख तैयार करने के उपरान्त सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं ताकि किसी भी अधिक भुगतान की सम्भावना को नकारा जा सके। किसी भी अधिक भुगतान की अवस्था में अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी प्रशिक्षक से की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ख) निदेशक, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, हिमाचल प्रदेश, सुन्दरनगर के पत्र संख्या एस0टी0बी0 (टी0ई0) एच0सी0 (1)/2010–20676–755 दिनांक 31.5.2011 के अनुसार अवधि/घण्टे के आधार पर रखे ट्रेनर/अनुदेशकों को मानदेय के रूप में जो भुगतान छात्र कल्याण निधि से किया गया है, उनकी एस0ओ0ए0 99–मानदेय से भरपाई की जानी अपेक्षित थी। अतः उपरोक्त उल्लेखित प्रशिक्षक को भुगतान की गई मानदेय/वेतन के रूप में ₹59880/– की प्रतिपूर्ति राजकीय कोष के समबन्धित शीर्ष से करने के उपरान्त यह राशि छात्र कल्याण निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान प्रशिक्षकों/अनुदेशकों को छात्र कल्याण निधि से मानदेय/वेतन के रूप में जितनी भी राशि भुगतान की गई है, उसकी गणना करने के उपरान्त अपेक्षित राशि की प्रतिपूर्ति राजकीय कोष के सम्बन्धित शीर्ष एस0ओ0ए0 99–मानदेय से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17 श्रीमती कमला देवी सफाई कर्मचारी को छात्र कल्याण निधि में अनियमित रूप से मानदेय/वेतन का भुगतान करने बारे

जाँच के दौरान पाया गया कि छात्र कल्याण निधि से श्रीमती कमला देवी अंशकालीन सफाई कर्मचारी को निम्नविवरणानुसार मानदेय/वेतन के रूप में भुगतान किया गया दर्शाया गया है।

क्र0सं0	विवरण	दिनांक	भुगतान दर्शाई गई राशि
1	माह 9/11 का मानदेय	12.10.11	1920
2	माह 1/13 का मानदेय	8.1.13	2356
3	माह 10/13 का मानदेय	4.11.13	2356

4	माह 12/14 का मानदेय	6.1.15	4590
		योग	**₹11222**

नियमानुसार अंशकालीन सफाई कर्मचारी को छात्र कल्याण निधि से मानदेय/वेतन का भुगतान करने का प्रावधान नहीं है। फलस्वरूप उक्त व्यय इस निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः उक्त कर्मचारी को भुगतान की गई मानदेय/वेतन के रूप में प्रदान की गई उक्त राशि के अतिरिक्त अंकेक्षणाधीन अवधि में इस तरह की भुगतान की गई समस्त राशि की संस्था स्तर पर गणना करने के उपरान्त अपेक्षित राशि की प्रतिपूर्ति राजकीय कोष से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18 आई0टी0आई0 बंगाणा के उदघाटन समारोह हेतु दी गई अग्रिम ₹20000 के समायोजन वाउचरों में पाई गई अनियमितताओं के बारे

जाँच के दौरान पाया गया कि छात्र कल्याण निधि से दिनांक 20.1.2015 को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बंगाणा के नए भवन के उदघाटन के अवसर पर श्री हेम राज, वर्ग अनुदेशक को अग्रिम ₹20000/– चैक संख्या 724639 के अन्तर्गत दी गई। उक्त अग्रिम राशि के समायोजन के समर्थन में निम्नलिखित बिल/वाउचर/अभिलेख प्रस्तुत किए गएः–

क्र0सं0	बिल सं0/दिनांक	फर्म का विवरण	सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
1	1817/19.1.15	मैसर्ज पी0बी0 जनरल विक्रेता, ऊना	जग	2	110	220
			बड़ी ट्रे	2	315	630
			छोटी ट्रे	2	225	450
			थरमस	1	495	495
			थरमस ½ लीटर	1	265	265
			कप सैट (वोन चाईना)	2	195	390
			ड्राई फ्रूट ट्रे	1	400	400
			कोस्टर स्टील	1 सैट	140	140
					योग	**2990**
2	1819/20.1.2015	मैसर्ज पी0बी0 जनरल स्टोर, ऊना	डिनर सैट	1	3220	3220
3	1274/20.1.15	हिन्दुस्तान सेल्स कापोरेशन, ऊना	फूलदान	2 पीस	150	300
4	1822/21.1.15	मैसर्ज पी0बी0 जनरल स्टोर, ऊना	बोरिक ग्लास	1 सैट	370	370

गिलास	20	15	300
मग प्लास्टिक	2	25	50
बाल्टी प्लास्टिक	2	175	350
कोस्टर स्टैण्ड	1	66	66
ऑडोनिक	2	35	70
राम फ्रैशनर	1	150	150
कप	1 सैट	485	485
फिनाईल	4 पै0	35	140
डस्टर	2	20	40
टायॅलेट रोल	2	35	70
			₹2356

क्रम संख्या 1 से 4 तक का कुल योग **₹8866**

दिनांक 16.3.15 को शेष बची राशि सम्बन्धित निधि में जमा करवाई गई **₹11134**

उपरोक्त व्यय के सन्दर्भ में निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ है, जिनका निराकरण किया जाए।

(क) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बंगाणा के नए भवन का उदघाटन दिनांक 22.1.2015 को सम्पन्न हुआ, लेनिक श्री हेम राज, समूह अनुदेशक द्वारा अग्रिम में से शेष बची ₹11134/– दिनांक 16.3.2015 को अर्थात 46 दिनों के उपरान्त सम्बन्धित निधि में जमा करवाई गई, जबकि नियमानुसार कार्य उद्देश्य की समाप्ति के उपरान्त/अग्रिम राशि के समायोजन के उपरान्त शेष बची राशि अविलम्ब आगामी कार्य दिवस में सम्बन्धित निधि मे ंजमा करवाई जानी अनिवार्य होती है। अतः उपरोक्त उल्लेखित अग्रिम राशि में से शेष बची ₹11134/– को कार्य समाप्ति के 46 दिनों के उपरान्त सम्बन्धित निधि में जमा करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा देरी से राशि जमा करवाने के कारण ब्याज स्वरूप हानि की गणना संस्था स्तर पर करने के उपरान्त इस राशि की वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से करके यह राशि सम्बन्धित निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में अग्रिम राशि के समायोजन/कार्य उद्देश्य की समाप्ति उपरान्त अविलम्ब शेष बची राशि सम्बन्धित खाते में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(ख) उपरोक्त क्रम संख्या 1, 2 व 4 पर उल्लेखित क्रय किया गया सामान एक ही फर्म से अलग–2 बिलों के अन्तर्गत दिनांक 19.1.2015, 20.1.2015 व 21.1.2015 को क्रय किया गया दर्शाया गया है, जबकि उक्त सामान का क्रय एक ही दिन में एक ही बिल के अन्तर्गत उक्त फर्म से किया जा सकता था। उक्त विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि यह क्रय निर्धारित

औपचारिकताएं को पूर्ण करने से बचने के लिए व बिना बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाए अलग–2 बिलों के अन्तर्गत किया गया दर्शाया है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ग) हिमाचल प्रदेश सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण अधिसूचना संख्या ई0डी0एन0 (टी0ई0)–ए (3)–2/2004 दिनांक 8.7.10 के (नियम (3) निधि का परिचालन तथा उपयोग) के अनुसार छात्र कल्याण निधि से उपरोक्त उल्लेखित समारोह हेतु व्यय करने का कोई प्रावधान नहीं है। फलस्वरूप उक्त व्यय निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः उक्त व्यय की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त यह राशि सम्बन्धित निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए अथवा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से इस व्यय को नियमित करवाया जाए और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19 संस्थान में प्रवेश के दौरान अभ्यार्थियों के लिए ₹940 का अनाधिकृत एवं अनियमित भुगतान करना

जाँच के दौरान पाया गया कि छात्र कल्याण निधि से श्री अश्वनी कुमार को चैक संख्या 724638 दिनांक 16.1.2015 द्वारा ₹940/– का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान संस्थान में प्रवेश के दौरान अभ्यार्थियों को जलपान करवाने के उपलक्ष्य में किया गया दर्शाया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

क्र0सं0	दिनांक	फर्म का विवरण	सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
1	16.1.15	शर्मा वैष्णो कैन्टीन, ऊना	पनीर पकौडा	2 कि0ग्रा0	240	480
			वैज पकौडा	1½ कि0ग्रा0	140	210
			चाय कप	50	5	250
					कुल योग	**₹940**

हिमाचल प्रदेश सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग, औद्योगिक एवं प्रशिक्षण की अधिसूचना संख्या ई0डी0एल (टी0ई0) ए (3) 2/2004 दिनांक 8.7.10 के (नियम (3) निधि का परिचालन एवं उपयोग) के अनुसार छात्र कल्याण निधि से अभ्यार्थियों को प्रवेश प्रक्रिया के दौरान जलपान करवाने का कोई प्रावधान नहीं है। फलस्वरूप उक्त व्यय निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः उक्त व्यय की उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करने के उपरान्त यह राशि छात्र कल्याण निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए अथवा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से इस व्यय को नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20 हिमाचल प्रदेश स्टेट लेबल स्पोर्टस मीट के दौरान भुगतान की गई राशि से सम्बन्धित अनियमितताएं

जाँच के दौरान पाया गया कि छात्र कल्याण निधि से दिनांक 25.11.2013 को श्री विशाल सूद को ₹4140/– का भुगतान हिमाचल प्रदेश स्टेट लेबल स्पोर्टस मीट, जोकि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ऊना में आयेजित की गई, के दौरान छात्र व छात्राओं को दैनिकी भत्ता व किराये के रूप में तथा पूर्वाभ्यास मैचों के दौरान किए गए भुगतान के रूप में किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0 सं0	प्रतियोगिता का विवरण व अवधि	दिनांक	दैनिकी भत्ता	किराया	योग
1	हि0प्र0 स्टेट लेबल स्पोर्टस मीट (लडकियाँ) नालागढ़ 20.4.13 से 24.4.13	3.4.13	(6 छात्राओं को ₹120 प्रतिदिन की दर से एक दिन हेतु)=720	(6 छात्र, ₹60 प्रति छात्र की दर से आने जाने हेतु)=360	1080
2	हि0प्र0 स्टेट लेबल स्पोर्टस मीट (लडके) नाहन 4.4.13 से 8.4.13	29.3.13	(17 छात्र ₹120 प्रति छात्र की दर से एक दिन हेतु)=2040	(17 ₹60 प्रति छात्र की दर से आने जाने हेतु)=1020	3060
		कुल योग	**2760**	**1380**	**₹4140**

उपरोक्त व्यय के सन्दर्भ में निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ है, जिनका निराकरण अपेक्षित है।

(क) उपरोक्त दैनिकी भत्ते के रूप में भुगतान की दर्शाई गई ₹2760/– से सम्बन्धित संयुक्त भोजनालय की रसीद अभिलेख में मौजूद नहीं है। नियमानुसार दैनिकी भत्ते की राशि को आयोजक संस्थान के संयुक्त भोजनालय में जमा करवाने के उपरान्त संयुक्त भोजनालय की रसीद प्राप्त करनी अपेक्षित होती है परन्तु दैनिकी भत्ते के रूप में भुगतान दर्शाई गई राशि को नकद में भुगतान किया गया दर्शाया है, जबकि प्रतिभागियों को नगद में भुगतान करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार संयुक्त भोजनालय की रसीद के अभाव में उक्त भुगतान दर्शाई गई दैनिकी भत्ते की राशि को नियमानुसार उचित नहीं ठहराया जा सकता है, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ख) उपरोक्त किराये के रूप में भुगतान दर्शाई गई ₹1380/– की किराये से सम्बन्धित टिकटें अंकेक्षण मे ंप्रस्तुत नहीं की गई। टिकटों के अभाव में किराये के रूप मे भुगतान दर्शाई गई राशि को नियमानुसार उचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः किराये के सन्दर्भ में वाँछित टिकटें तथा हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम ऊना से वाँछित प्रमाण पत्र प्राप्त करके सत्यापनार्थ

हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि भुगतान किए गए किराये का नियमन सम्भव हो सके।

21 आवेदन पत्रों व अनापत्ति प्रमाण पत्रों के बिना संस्थान प्रतिभूति की ₹83500/– का भुगतान करना

जाँच के दौरान पाया गया कि प्रतिभूति निधि से निम्नविवरणानुसार प्रशिक्षुओं को संस्थान प्रतिभूति की राशि वापिस की गई दर्शाई है।

क्र0सं0	दिनांक	भुगतान दर्शाई गई राशि
1	17.8.10	23500
2	3.9.11	9500
3	17.8.12	17000
4	14.11.13	13000
5	2.8.14	9500
6	16.9.14	11000
	कुल योग	**83500**

उपरोक्त वापिस लौटाई गई राशि के सन्दर्भ में निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियाँ है, जिनका निराकरण अपेक्षित है।

(क) उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 6 पर उल्लेखित वापिस लौटाई गई प्रतिभूति से सम्बन्धित ₹83500/– के प्रशिक्षुओं के आवेदन पत्र अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। आवेदन पत्रों के अभाव में वापिस लौटाई गई भुगतान की गई संस्थान प्रतिभूति को नियमानुसार उचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः वाँछित आवेदन पत्र सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं ताकि भुगतान की गई संस्थान प्रतिभूति राशि की वास्तविकता की जाँच सम्भव हो सके।

(ख) क्रम संख्या 1 से 3 पर उल्लेखित भुगतान की गई संस्थान प्रतिभूति की ₹50000/– के सम्बन्धित अनापति प्रमाण पत्र भी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। अनापति प्रमाण पत्रों के अभाव में भुगतान दर्शाई गई संस्थान प्रतिभूति को नियमानुसार उचित नहीं ठहराया जा सकता।

अतः वाँछित आवेदन पत्र तथा अनापति प्रमाण पत्र सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं ताकि कृत भुगतान का नियमन सम्भव हो सके। अनापति प्रमाण पत्रों व आवेदन पत्रों को प्रस्तुत न करने की अवस्था में उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त यह राशि संस्थान प्रतिभूति निधि में जमा करवाई जानी

सुनिश्चित की जाए तथा भविष्य में संस्थान प्रतिभूति राशि का भुगतान नियमानुसार उपरोक्त दस्तावेजों के प्राप्त होने के पश्चात ही करना सुनिश्चित किया जाए।

22 बकाया वेतन बिल की ₹234496/– की प्रतिपूर्ति करने बारे

जाँच के दौरान पाया गया कि माह 10/2011 में दिनांक 4.10.2011 को छात्र कल्याण निधि से श्री कमल देव, चौकीदार को ₹234496/– का बकाया वेतन का भुगतान किया गया है। उक्त बकाया वेतन का भुगतान माननीय उच्च न्यायलय द्वारा CWP (T) No.14149 of 2008 दिनांक 21.9.2010 को दिए गए निर्णय की अनुपालना में निर्देशक तकनीकी शिक्षा विभाग के पत्र संख्या STV (TE) H-B (2) Fixed/26.10.11-37908-37935 के अन्तर्गत, प्रधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बंगाणा को दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत किया गया है। यद्यपि निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा उक्त कर्मचारी को बकाया वेतन का भुगतान छात्र कल्याण निधि से करने के निर्देश दिए गए है, तथापि उक्त कर्मचारी की छात्र कल्याण निधि से नियुक्ति न होने के कारण उक्त व्यय छात्र कल्याण निधि पर उचित एवं वैध प्रभार नहीं है क्योंकि उक्त कर्मचारी की नियुक्ति आई0एम0सी0 निधि से की गई है व पूर्व वर्षों में भी उनका वेतन सरकारी खजाने से खाली पदो के विरूद्ध निकाला गया है। अतः बकाया वेतन का भुगतान भी सरकारी खजाने से किया जाना अपेक्षित है। अतः सम्पूर्ण ₹234496/– की प्रतिपूर्ति आई0एम0सी0 निधि अथवा सरकारी खजाने से करने के उपरान्त यह राशि छात्र कल्याण निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

23 स्टॉक व स्टोर में शेष पड़े सामान का भौतिक सत्यापन न करवाना

संस्थान द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान स्टोर व स्टॉक में शेष पड़े सामान का कमेटी गठित करने के उपरान्त भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश के वित्तीय नियम 140 (2) के अनुसार उक्त सत्यापन वर्ष में कम से कम एक बार करवाया जाना अपेक्षित है। अतः उक्त नियम की अनुपालना न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए अपेक्षित सत्यापन यथाशीघ्र करवाया जाए व भविष्य में इन नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित सत्यापना यथानुसार ही करवाया जाना सुनिश्चित करके अनुपालना अंकेक्षण को दर्शाई जाए।

24 स्थाई व अस्थाई सामान (Consumable and Non Consumable) के अलग–2 स्टॉक रजिस्टरों न रखना

संस्थान द्वारा विभिन्न निधियों से स्थाई व अस्थाई सामान (Consumable and Non Consumable) हेतु अलग–2 स्टॉक रजिस्टरों का रख रखाव नही किया गया है, जिससे

स्टॉक में कृत प्रविष्टियों से यह पता लगाना कठिन होता है कि विद्यालय के पास अमुक तिथि को अमुक वस्तु की कितनी प्रमात्रा विद्यमान थी। अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाते हुए सभी निधियो के स्थाई व अस्थाई (Consumable and Non Consumable) सामान का पृथक–2 स्टॉक रजिस्टरों का रख रखाव करते हुए प्रत्येक मदों की पृथक–2 पन्नो पर प्रविष्टियाँ की जाएं ताकि उपलब्ध सामान की प्रमात्रा का अवलोकन तिथिवार सुनिश्चित हो सके।

25 रसीदों के स्टॉक रजिस्टर बारे

छात्रो से शुल्क एवं निधियों की वसूली रसीदों द्वारा की गई, लेकिन अंकेक्षण अवधि में प्राप्त की गई रसीदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया, जबकि प्रत्येक रसीद पुस्तिका की स्टॉक प्रविष्टि तथा जारी किए जाने तथा प्रयोग में लाए जाने सम्बन्धी ब्यौरा सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार संस्थान द्वारा कुल प्राप्त रसीदों व उनके उपयोग की जानकारी अभिलेख सहित अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः इस सन्दर्भ में आवश्यक कार्रवाई करके अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर पड़ताल हेतु प्रस्तुत करें।

26 लघु आपत्ति विवरणिकाः– यह अलग से जारी नहीं की गई है।

27 निष्कर्षः– लेखों के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन (एल0ए0)एच (2)सी (15) (xi) (v) 116/15 खण्ड–1–7936–7938दिनांक18.12.15, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत
1. प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बंगाणा जिला ऊना, (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक एवं औ़द्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0

हस्ता/–

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,

हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.